राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(51) परि/नियम/मु./2010//15330 जयपुर,दिनांकः 18/07/2018

## आदेश

राज्य मे कुशल चालक तैयार करने हेतु एवं उनके राज्य के नागरिकों को वाहन चलाने में प्रशिक्षित करने हेतु मोटर ड्राईविंग स्कूलों की स्थापना एवं उनके नियत्रंण व विनियमन नीति "एम.डी.एस.आर.–2018 दिनांक 13.04.2018 से प्रभावी हो चुकी है। इसकी बेहतर क्रियान्वयन बैठक के दौरान अवगत कराया कि स्थापित ड्राईविंग स्कूलों का गैरकानूनी तरीके से बेचान किया जाता है जबकि मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में मोटर ड्राईविंग स्कूल स्थानान्तरण का प्रावधान नहीं है। चालकों को प्रशिक्षित कर बेहतर ड्राईविंग स्किल विकसित कर सडक सुरक्षा को बढावा देना ही मोटर ड्राईविंग स्कूल का उद्देश्य है। मोटर ड्राईविंग स्कूल की स्थापना के समय स्थान, साधन, संसाधन योग्यताओं व अन्य अपेक्षित तकनीकों की उपलब्धता पर मोटर ड्राईविंग स्कूल आवेदक को लाईसेन्स स्वीकृत किया जाता है। स्थानान्तरण के समय ऐसी स्थिति में अन्य दिगर व्यक्ति को स्थानान्तरण करना उचित नहीं है।

अतः भविष्य में किसी भी स्तर से मोटर ड्राईविंग स्कूल का स्थानान्तरण नही किया जावे।

समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने जिले/रीजन में स्थापित समस्त मोटर ड्राईविंग स्कूल स्थानान्तरण प्रकरणो की जांच कर चिन्हित किया जावें तथा ऐसे समस्त प्रकरणों से मुख्यालय को निम्न प्रोफार्मा अनुसार 3 दिवस में अवगत कराया जावे।

| क्र सं. | जिला | मोटर ड्राईविंग स्कूल का नाम व वैधता | किस–किस वाहन हेतु अधिकृत है। | स्थानान्तरण की दिनांक व अधिकारी का नाम | पूर्व/उपरांत संचालक का नाम व दिनांक | स्थानान्तरित दिनांक | स्थानान्तरण का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(आर.सी.यादव)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांकः प.7(51) परि/नियम/मु./2010/15331-336 जयपुर,दिनांकः 18/07/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)